दिनांक 20.05.2026 को जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यो एवं जल जीवन मिशन 2.0 से सम्बन्धित विषयों पर दिनांक 22.05.2026 को आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :–

जिलाधिकारी महोदय, अध्यक्ष के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2026 को जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थें:–

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
2. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
3. श्री अभिनव गुप्ता, जिला समन्वयक, मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), मेरठ।
4. श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 पावर मैक प्रोजेक्टस–भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे0वी0), मेरठ।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने हेतु जनपद मेरठ के लिए मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स–भूरत्नम कंस्ट्रक्शन (जे0वी0), हैदराबाद को नामित किया गया है। जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 472 नग ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित 472 नग ग्रामों के सापेक्ष सभी ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 332 नग डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को प्रेषित की गईं। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा उक्त 332 नग डी0पी0आर0 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। फर्म स्तर से कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी0पी0आई0 द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में **टी0पी0आई0 के रूप में मै० आर0वी0 एसोसिएट्स** कार्यरत है तथा जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (DPMU) के रूप में कार्यरत है।

पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति।

जनपद में स्वीकृत 332 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सापेक्ष 325 नग पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कुल 340 नग टयूबवैल, 309 नग ओवर हैड टैंक, 340 नग पम्प हाऊस, 3025 कि0मी0 पाइप लाईन, 2,28,820 नग हाउस कनैक्शन आदि निर्माण कार्य स्वीकृत है।

पूर्ण की स्थिति:–

वितरण प्रणाली की प्रगति	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	गृह संयोजन की प्रगति नग	हर घर जल सर्टिफिकेट	टिप्पणी
प्रस्तावित–3025 कि0मी0 प्रगति–2954 कि0मी0 (97.65% पूर्ण)	प्रस्तावित–309 नग पूर्ण–298 नग/ 2 नग (0-25%) 2 नग (75-95%)	प्रस्तावित–340 नग पूर्ण–335 नग	प्रस्तावित–2,28,820 प्रगति–2,18,825 (95.56%)	304	325 नग योजनाओं (455 नग ग्रामों) के सापेक्ष 247 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण हैं तथा 78 नग योजनाओं के कार्य प्रगति में हैं।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 286 नग पेयजल योजनाओं पर नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसमें से **247 नग पेयजल योजनाओं** के अनुरक्षण एवं संचालन का अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 39 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण कर नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है जिन्हें अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत लिये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

रोड रिस्टोरेशन :–

Sr. No.	Block	Reinstatement		
		Dismentaled (KM)	Road Restoration Completed in (KM)	Road Restoration yet to be Completed in (KM)
1	Jani	239.33	238.11	1.22
2	Kharkhoda	145.47	145.42	0.05
3	Meerut	90.78	90.49	0.29
4	Rajpura	176.66	176.54	0.12
5	Daurala	242.49	242.21	0.28
6	Rohta	197.82	197.59	0.23
7	Shardhana	240.60	240.09	0.52
8	Sarurpur	192.64	192.26	0.39
9	Hastinapur	311.34	310.81	0.54
10	Machara	229.79	229.34	0.45
11	Mawana	277.77	277.61	0.16
12	Parikshitgah	335.60	335.15	0.45
Total		**2680.28**	**2675.59**	**4.68**

319 नग ग्रामों में रोड रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त योजनाओं के रोड रिस्टोरेशन के स्थलीय निरीक्षण हेतु खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त सहायक खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत को भी मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ के पत्रांक 1741/पेय0–71/387 दिनांक 03.06.2025, 2437/पेय0–71/500 दिनांक 01.07.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.10.2025 को आयोजित दिशा बैठक के दौरान मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में काटी गयी सड़कों के रोड रिस्टोरेशन कार्यों की वर्तमान स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदया मेरठ के पत्रांक 5046/पेयजल–71/940 दिनांक 20.11.2025 द्वारा जनपद के अन्य विभागों के तकनीकी व जिला पंचायत के अधिकारियों से रोड रिस्टोरेशन का निरीक्षण कराया गया है।

ग्रामवार शेष रोड रिस्टोरेशन की स्थिति निम्नानुसारः–

500 मी0 से कम, 100 मी0 तक शेष रोड रिस्टोरेशन वाले ग्राम ग्राम	–25 ग्राम
100 मी0 से कम शेष रोड रिस्टोरेशन वाले ग्राम	–111 ग्राम

मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों में रोड रिस्टोरेशन एवं सेटेल्ड हुई रोड का कार्य शीघ्रता से मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

हर घर जल सर्टिफिकेशनः– जनपद मेरठ में 472 ग्रामों में से 304 ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण हो चुका है।

भूमि उपलब्धता एवं विवादों की स्थिति हैं :–

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूरत्नम कन्स्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा हैं। योजनाओं के निर्माण हेतु अनुपलब्ध, विवादित भूमि में विवाद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	तहसील	अनुपलब्ध भूमि	विवादित स्थल
1	मेरठ	2	1
2	मवाना	4	8
	कुल	6	9

मुख्य विकास अधिकारी, महोदया द्वारा उपजिलाधिकारी, मेरठ एवं उपजिलाधिकारी, मवाना को निर्देशित किया गया कि भूमि अनुपलब्धता/विवाद को शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्राम प्रधानों द्वारा हर घर जल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं, जिस कारण योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत लिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें।

शासनादेश द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में आख्याः–

प्रमुख सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 27/2025/1316/छिहत्तर–1–2025– 1739613 दिनांक 21.05.2025 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत/निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रमुख सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 34/2025/1564/छिहत्तर–1–2025–1739613 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाईप पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण jjm.up.co.in पर परिलक्षित हो रही प्रगति को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुश्रवण किया जा सकता है।

उक्त शासनादेश के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैः–

ओवरहेड टैंकों पर सेंसर/फ्लोमीटर लगाना

जनपद में 325 नग योजनाओं पर सेंसर एवं फ्लोमीटर स्थापित किए गए हैं।

इनके माध्यम से जल की मात्रा एवं गुणवत्ता का रियल–टाइम डेटा jjm.up.co.in पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

जल निगम द्वारा अनुरक्षित योजनाएँ

जनपद में 101 ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल योजनाएं हैं, जो जल निगम एवं ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही थी। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 63/2024/2066/छिहत्तर– 1–2024/–1739613, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 29.08.2024 के द्वारा निर्गत आदेश **"प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति–2024"** के अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 569,011 Nivida,25 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा जनपद मेरठ में पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं (जल निगम/ ग्राम पंचायत द्वारा संचालित) हेतु मै0 हेल्वी कन्स्ट्रक्शन्स लि0–भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 (जे0वी0) को नामित किया गया है, जिनके द्वारा अनुबन्ध संख्या 02/SE/2024-25 दिनांक 27.03.2025 के अन्तर्गत विषयगत योजनाओं के O&M तथा शेष कार्यों हेतु प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पूर्व निर्मित योजनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

Fully Functional:– जनपद में 02 ग्राम Fully Functional हैं।

Partially Functional:–जनपद में 66 ग्राम Partially Functional हैं।

Defunct:– जनपद में 33 ग्राम Defunct हैं।

सम्बन्धित फर्म द्वारा अद्यतन 62 नग योजनाओं का त्रि–पक्षीय अनुबन्ध गठित कर योजनाओं को takeover कर लिया गया है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। फर्म द्वारा डी0पी0आर0 विरचन कर मुख्यालय प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अपेक्षित है।

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) की सक्रियता

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 921/W-314(Vol-6)/DM/ISA-1/2025-26 दिनांक 18.06.2025 द्वारा VWSCs से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों यथा OPEX Bank Account, VWSC सदस्यों का विवरण, बैठकों का कार्यवृत्त, VWSC से सम्बन्धित रजिस्टरों में दर्ज अब तक संपादित एवं वर्तमान में प्रचलित गतिविधियों की सूचनाओं/आँकड़ों का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म अवलोकन कर त्रुटिरहित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद में आवंटित आई0एस0ए0 द्वारा कलस्टर वार ग्राम पंचायतों में VWSC गठन का कार्य किया गया है यद्यपि उक्त की सक्रियता बढ़ाने हेतु सम्बन्धित आई0एस0ए0 के माध्यम से ग्राम स्तर पर VWSC (विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी) के पुनर्गठन एवं सक्रियता बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकों में महत्वपूर्ण बिन्दु:–

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3623/Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 06.02.2026 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन/अनुरक्षण के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में निम्न बिन्दुओं को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:–

1. **पाइप पेयजल परियोजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु पंचायत सचिव के द्वारा जल आंकलन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से सम्यक विचारोपरान्त ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 पर भरा जाना:**–इस संबंध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3285/JalSewaAnklan/JJM/2025-26/Tech-20 दिनांक 10.01.2026 द्वारा जल आंकलन हेतु उपलब्ध कराई गई 297 ग्राम पंचायतों की सूची के सापेक्ष अद्यतन 296 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से सम्यक विचारोपरान्त जल आंकलन मूल्यांकन प्रपत्र ई–ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 पर भरा जा चुका है।

2. **पाइप पेयजल परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल अपर्ण दिवस आयोजित करना:**– उक्त के क्रम में श्री अरुण गोविल, माननीय सांसद महोदय, श्री गुलाम मोहम्मद, माननीय विधायक, सिवाल खास तथा श्री सोमेंद्र तोमर, माननीय विधायक एवं राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार महोदय से कार्यक्रम हेतु समय निर्धारित करने के लिए संपर्क किया जा रहा है। वर्तमान में ग्राम साल्हेनगर–फैज़ाबाद पचगांव–जोहरा पेयजल योजना का जल अपर्ण दिनांक 24.02.2026 को श्री गुलाम मोहम्मद, माननीय विधायक, सिवाल खास द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। दिनांक 12.03.2026 को ग्राम उपलेहड़ा पेयजल योजना का जल अपर्ण कार्यक्रम श्री सोमेंद्र तोमर, मा0 विधायक जी द्वारा कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।
3. **ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा निष्पादित कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करने में तृतीय–पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (TPIAs) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, TPIAS द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की समीक्षा किया जाना:**– राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ स्तर से नामित फर्म मै0 आरवी एसोसिएट्स टी0पी0आई0 के अभियन्ताओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसकी जाँच रिपोर्ट खण्ड में उपलब्ध करायी जाती है। खण्ड स्तर से सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा भी टी0पी0आई0 द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति/उपस्थिति की जाँच समय–समय पर की जाती है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया मेरठ द्वारा टी0पी0आई0 की उपस्थिति का सत्यापन किया जाता है, जिस हेतु ग्रामीण पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण जिला विकास अधिकारी, मेरठ द्वारा भी करायी गयी है।

   अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि सभी क्रियाशील पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा तोड़ी/काटी गई सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। इसके अतिरिक्त जिन निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर कार्य की प्रगति धीमी है, उन पर कार्य की गति बढ़ाते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजनाओं के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

जल जीवन मिशन 2.0

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्रांक 561/Letter/2025–26/Tech–20 दिनांक 15.05.2026 के माध्यम से जल जीवन मिशन 2.0 से संबंधित विषयों पर दिनांक 22.05.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत कराया गया है।

1. **जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित सुधारों एवं जनपदों से अपेक्षित कार्यवाहियां:**– जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं को अधिक टिकाऊ, प्रभावी एवं समुदाय आधारित बनाना है। इसके तहत योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (O&M), जल गुणवत्ता निगरानी, स्रोत स्थिरता, डिजिटल मॉनिटरिंग, परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका को और सुदृढ़ किया

जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घकाल तक सुरक्षित, नियमित एवं गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध होता रहे।

2. **जलापूर्ति योजनाओं की पूर्णता तथा "हर घर जल प्रमाणीकरण" की प्रगतिः**–जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद मेरठ में अद्यतन "304 ग्रामों" का "हर घर जल प्रमाणीकरण" सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। शेष ग्रामों में प्रमाणीकरण की कार्यवाही संचालित है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
3. **पूर्ण हुई योजनाओं के हस्तांतरण (जल अर्पण) की प्रगतिः**–अद्यतन "03 पेयजल योजनाओं" का हस्तांतरण (जल अर्पण) पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त "47 पूर्ण पेयजल योजनाओं" के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगति पर है। संबंधित ग्राम पंचायतों एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक अभिलेखीय एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूर्ण कराई जा रही हैं।
4. **जल सेवा आंकलन (Water Service Assessment) की स्थिति एवं प्रगतिः**– भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कार्यक्षमता, जलापूर्ति की नियमितता, जल गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के समग्र मूल्यांकन हेतु जल सेवा आंकलन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जनपद मेरठ के लिए कुल 297 ग्राम पंचायतों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके सापेक्ष अब तक 296 ग्राम पंचायतों का आंकलन पूर्ण कर संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 99.66 प्रतिशत है।
   शेष 01 ग्राम पंचायत का आंकलन निम्न कारणों से पूर्ण नहीं किया जा सका हैः–
   वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु जल सेवा आंकलन केवल उन ग्राम पंचायतों पर लागू है, जिन्हें 01 जनवरी 2025 तक हर घर जल (Har Ghar Jal & HHJ) के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अर्थात् केवल वही ग्राम पंचायतें इस मूल्यांकन के लिए पात्र हैं, जिनके अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को उक्त तिथि तक JJM-IMIS पोर्टल पर हर घर जल के रूप में दर्ज किया गया हो।
   चूंकि संबंधित ग्राम पंचायत उपर्युक्त पात्रता शर्तों को पूर्ण नहीं करती है, अतः वर्तमान मूल्यांकन वर्ष 2025–26 के लिए उसका जल सेवा आंकलन प्रपत्र पोर्टल पर भरा जाना संभव नहीं है।
5. **जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) बैठकों की प्रगतिः**–जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठकों का नियमित आयोजन किया जा रहा है तथा उनके कार्यवृत्त निर्धारित समयावधि में DWSM डैशबोर्ड पर अपलोड किए जा रहे हैं। अद्यतन "06 बैठकों के कार्यवृत्त" सफलतापूर्वक डैशबोर्ड पर अपलोड किए जा चुके हैं।
6. **सुजलाम भारत अभियान के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगतिः**– जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया सुजलाम भारत अभियान ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के शासन, पारदर्शिता एवं प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु एक महत्वपूर्ण डिजिटल एवं अवसंरचनात्मक पहल है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पेयजल योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों का वैज्ञानिक अभिलेखीकरण, वास्तविक समय (Real-Time) में निगरानी तथा डेटा आधारित प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित एवं नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था प्रभावी रूप से संचालित की जा सके।
   अभियान के अंतर्गत विकसित सुजलम भारत मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पेयजल योजनाओं की प्रमुख परिसंपत्तियों, जैसेः–इंटेक वेल, जलाशय, पम्प हाउस, उपचार संयंत्र, ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन नेटवर्क एवं अन्य संरचनाओं की जियो–टैगिंग की जाती है। इससे योजनाओं का भौगोलिक सत्यापन, डिजिटल मैपिंग तथा वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी संभव हो पाती है, जिससे योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित होती है।
   उक्त के क्रम में भारत सरकार द्वारा **JJM Dashboard 2.0** में **RPWSS (Rural Piped Water Supply Scheme) ID** बनाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके अनुपालन में 290 योजनाओं की ID बना दी गई हैं, जिसके अन्तिम सबमिशन के उपरान्त Assets की जी0ओ0 टैगिंग प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।
   जनपद मेरठ में सुजलाम भारत अभियान के अंतर्गत अब तक 12 नग पेयजल योजनाओं के Components की जियो–टैगिंग सुजलम भारत ऐप के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। शेष योजनाओं की जियो–टैगिंग का कार्य संबंधित कार्यदायी संस्थाओं एवं अधिकारियों के माध्यम से तीव्र गति से कराया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, ताकि जनपद की समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं का डिजिटल अभिलेखीकरण पूर्ण हो सके तथा उनके प्रभावी प्रबंधन, निगरानी एवं दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके।

7. **District Technical Unit (DTU) के संचालनात्मक क्रियान्वयन की स्थितिः–**
   सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7/2026/493/छिहत्तर–1–2026(2027542) दिनांक 28.02.2026 के द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) गठन हेतु निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 12.01.2026 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन उपरान्त 'जिला तकनीकी इकाई' (DTU) का निम्नवत् गठन किया गया हैः–

क्र0सं0	पदनाम	पद
1	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।	अध्यक्ष/संयोजक
2	डॉ0 रक्षित जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ स्तर से नामित)।	सदस्य

क्र0सं0	पदनाम	पद
3	अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ।	सदस्य
5	जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मेरठ।	सदस्य
7	अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी), मेरठ।	सह–संयोजक
8	कैमिस्ट, जनपदीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, मेरठ।	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), मेरठ (जिलाधिकारी महोदय स्तर से नामित)।	सदस्य

अतः उक्त शासनादेश के अनुपालन में जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं रखरखाव अनुरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु उत्तरदायी होगी। उक्त इकाई नियमित एवं आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित कर योजनाओं के संचालन में उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण करेगी तथा ग्राम प्रधान एवं जल सेवा आकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को आवश्यक सुझाव प्रदान करेगी। अद्यतन '217 ग्रामों'' की सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं। शेष ग्रामों का डाटा अपलोड किया जाना प्रगति पर है।

8. **स्रोत स्थायित्व हेतु कार्ययोजना एवं क्रियान्वयनः**–जनपद स्तर पर स्रोत स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित कर दी गई हैं।

9. **कौशल विकास गतिविधियां एवं नल जल मित्र कार्यक्रमः**–जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर तकनीकी दक्ष मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से नल जल मित्र कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से चयनित युवाओं को मोटर–पम्प संचालन, पाइपलाइन एवं वाल्व अनुरक्षण, लीकेज मरम्मत, क्लोरीनेशन तथा जल गुणवत्ता की प्राथमिक जांच संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे ग्राम स्तर पर पेयजल योजनाओं के सुचारु संचालन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
जनपद मेरठ में नल जल मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत कुल **567 व्यक्तियों** को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष वर्तमान तक **122** नल जल मित्रों का विवरण संबंधित पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड किया जा चुका है। जिला पंचायत राज अधिकारी को सहायोग के लिए निर्देशित किया गया।

10. **दिशा (DISHA) बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थितिः**–जनपद में दिशा बैठक दिनांक 28.03.2026 में आयोजित की गयी थी, मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की जाँच हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी जाँच की कार्यवाही अन्य विभागों के तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है तथा कार्य संतोषजनक पाये गयें।

11. **जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी एवं सर्विलांस गतिविधियांः**– जनपद में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी एवं सर्विलांस की गतिविधियाँ सतत रूप से संचालित की जा रही हैं। इस उद्देश्य से जनपदीय जल परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं तथा जल स्रोतों से प्राप्त नमूनों की नियमित रूप से भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु संबंधी जांच की जा रही है। परीक्षण परिणामों के आधार पर जल गुणवत्ता की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में चयनित 05–05 महिला सदस्यों को फील्ड टेस्ट किट (एफ.टी.के.) के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षित महिला समूहों द्वारा ग्राम स्तर पर पेयजल स्रोतों की नियमित जांच की जा रही है। इन परीक्षणों के माध्यम से जल की गुणवत्ता की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होने के साथ–साथ ग्रामीण समुदाय में सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रकार प्रयोगशाला परीक्षण एवं एफ.टी.के. आधारित सामुदायिक परीक्षण के माध्यम से जनपद में जल गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी एवं सर्विलांस सुनिश्चित किया जा रहा है।

12. **जन शिकायतों के निस्तारण की स्थितिः**–जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित शिकायतों की समीक्षा एवं गुणवत्तापूर्वक त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त jjm.up.gov.in पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण भी गुणवत्तापूर्वक त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 227/प्र0नि0(कैम्प)/102–006/26 दिनांक 07.05.2026 एवं जिलाधिकारी, मेरठ के पत्रांक 7138/ओ0एस0डी0–कैम्प दिनांक 08.05.2026 के द्वारा संलग्न विवरण/प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद मेरठ के विभिन्न विकास खण्डों अन्तर्गत संचालित जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं में चोरी, सड़क चौड़ीकरण, विद्युत कार्यों, नाली निर्माण एवं अन्य कारणों से जलापूर्ति बाधित होने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिस हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा तत्काल निवारण हेतु सम्बन्धित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

3/6/2026

(नूपुर गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।

पत्रांक 2057 / 4448-71 / 388 दिनांक 03/06/2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल, मल्टीपरपोज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. उपजिलाधिकारी, मेरठ/सरधना/मवाना।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
7. मै0 आरवी एसोसिएट्स (टी0पी0आई0), मेरठ।
8. मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), मेरठ।
9. मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स–भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे0वी0)।

अधिशासी अभियन्ता